

भाग-III
गलानी, झरगांव, कालाआगर, गरगरी मल्ली, चमोली, खनस्यू डालकन्या तथा गरगरी
तल्ली - 42 मी० स्पान पुल का निर्माण
(हस्तान्तरण भूमि)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/33941/2018)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>1- क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।</p>	<p>नहीं</p>
<p>2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।</p>	<p>हाँ सहमत</p>
<p>3- विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशों।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28-07-2018 एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है, कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसका वहन वो स्वयं करेगा। अतः जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

दिनांक 30-07-2018
स्थान-नैनीताल


(डॉ तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
वन संरक्षक
दक्षिणी कुमायूँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
नीचा